न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 13/154

1. बनवारी आत्मज रंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी सीन्ता तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. रघुनन्दन आत्मज रंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी सीन्ता तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. श्रीमती लीला पत्नी रंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी सीन्ता तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. वासुदेव आत्मज हरिनारायण उर्फ हरनारायण अवयस्क जरिये एवं हितेषी माता श्रीमती माया आयु 34 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी सीन्ता तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. श्रीमती माया पत्नी हरिनारायण जाति ब्राह्मण निवासी सीन्ता तहसील एवं जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रंगलाल आत्मज जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी सीन्ता तहसील व जिला बून्दी (नाम तर्क)
2. रामेश्वर आत्मज रंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी सीन्ता तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. हरिनारायण उर्फ हरनारायण आत्मज रंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी सीन्ता तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 19.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.04.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत एक वाद अधिकार घोषणा एवं बंटवारा तथा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर कथन किया कि जगन्नाथ आत्मज श्री नन्दराम ग्राम सीन्ता की 181 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि के खातेदार थे । जगन्नाथ जी की मृत्यु के बाद रंगलाल व घनश्याम जी में आपासी बंटवारा होने से कृषि भूमि खसरा नम्बर 87 रकबा 21 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 224/4 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 244 रकबा

05 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 256 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 263 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वसा, खसरा नम्बर 269 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 309 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 353 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 361 रकबा 04 बीघा 006 बिस्वा कुल 10 किता की कुल रकबा 71 बीघा भूमि बंटवारे में प्रतिवादी रंगलाल को मिली है । उक्त भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें पुत्र–पौत्र का जन्म से ही अधिकार निहित है । पिता व पुत्र के मध्य बंटवारा होने पर माता भी पुत्रों के समान बंटवारे में हक प्राप्त करनी की अधिकारिनी होती है । वादी क्रम 1व 2 रंगलाल के पुत्र हैं । वादी क्रम 4 व 5 हरिनारायण के पुत्र व पत्नी हैं । प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 व 3 ने आपस में मिली भगत से चरण संख्या में उल्लेखित कृषि भूमि का बंटवारा कर लिया उक्त बंटवारे में वादी बनवारी, रघुनन्दन, श्रीमती लीला को कोई कृषि प्रदान नहीं की गई है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया जिससे वादीगण पाबन्द नहीं हैं । वादीगण को वादग्रस्त आराजी में कोई हिस्सा प्रदान नहीं किया गया है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण बनवारी, रघुनन्दन, लीला एवं वासुदेव व माया, रंगलाल, रामेश्वर, हरिनारायण को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि में बनवारी का 1/6, रघुनन्दन का 1/6, श्रीमती लीला का 1/6 तथा प्रतिवादी रंगलाल का 1/6, प्रतिवादी रामेश्वर का 1/6 तथा हरिनारायण का 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे । जो भूमि विभाजन में हरिनारायण को प्राप्त हो उसका विभाजन किया जाकर वादी वासुदेव व श्रीमती माया प्रत्येक को 1/3 – 1/3 हक से जो भूमि बनती हो प्रदान की जावे । यदि उक्त भूमि किसी अन्य पक्ष के खाते अंकित हो रही हो तो उसका नाम खाते से विलोपित किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी के किसी भाग पर अतिक्रमण नहीं करें । वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करे उक्त भूमि या उसके किसी भाग पर बलपूर्वक कब्जा नहीं करें । यदि दौराने वाद प्रतिवादी राकेश कुमार उक्त भूमि या उसके किसी भाग पर कब्जा कर ले तो पुनः कब्जा वादीगण को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.04.2013 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.04.2013 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा पेश गवाहों एवं न्यायिक निर्णयों का विवेचन किये बिना ही दावा खारिज कर दिया । वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें अपीलान्ट का जन्म से ही अधिकार है । अपीलान्टगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 द्वारा मिलजुल कर बंटवारा भी करा लिया हो तो उससे अपीलान्ट के विपरीत कोई प्रभाव नहीं पडता है क्योंकि अपीलान्ट उसमें पक्षकार नहीं थे । प्रतिवादी क्रम 4 राकेश तिवारी से दौराने दावा राजीनामा हो गया था तथा वह अब वादग्रस्त आराजी में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है इस कारण वह आवश्यक पक्षकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.04.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें अपीलान्ट का जन्म से ही अधिकार है । अपीलान्ट को इसका बंटवारा कराने का अधिकार प्राप्त है । रेस्पोडेन्टगण द्वारा मिलजुल कर बंटवार करा लिया है तो अपीलान्ट पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं है क्योंकि अपीलान्ट पूर्व में पेश किये गये दावे में पक्षकार नहीं थे इस कारण पूर्व के निर्णय से वो पाबन्द नहीं है । अपीलान्ट की माता भी पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त करने की अधिकारिणी थी जिसको पूर्व में पक्षकार नहीं बनाया गया है । इस कारण यह दावा पेश किया गया है । ऐसा पक्षकार जो पूर्व के दावे में पक्षकार नहीं था वो पूर्व के निर्णय से पाबन्द नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 05.04.2013 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडब्ल्यू 1981 पेज 512, एआईआर 1989 पेज 202, एआईआर 1997 (एससी) पेज 1333, एआईआर 1984 (एससी) पेज 1234 उद्धरत की ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने हक घोषणा एवं विभाजन का दावा पेश किया था जिसमें यह कथन किया गया है कि वादी बनवारी व रघुनन्दन रंगलाल के पुत्र हैं । रंगलाल को अपने पिता जगन्नाथ जी से सम्पत्ति प्राप्त हुई थी । वादी क्रम 1 व 2 को पक्षकार बनाये बिना एवं वादीगण की माता को पक्षकार बनाये बिना अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी रंगलाल व रामेश्वर, हरनारायण ने आपस में बंटवारा कर लिया है जो विधि– विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय ने यह कथन करते हुए कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति होना जाहिर किया है । परन्तु प्रदर्श– 2 के अनुसार भूमि का बंटवारा होकर रामेश्वर, रंगलाल ओर हरनारायण के खाते में पृथक–पृथक दर्ज हो गयी है । अब इसका पुनः बंटवारा नहीं किया जा सकता । पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2021–24 प्रदर्श– 2 के अनुसार वादग्रस्त आराजी रंगलाल वल्द जगन्नाथ के खाते में दर्ज है और प्रदर्श– 4 के अनुसार आराजी जगन्नाथ पुत्र नन्दराम के खाते में दर्ज है । वादी अपीलान्ट का यह कथन है कि वे रंगलाल के पुत्र हैं और वादी संख्या 3 लीला, रंगलाल की पत्नी है । नकल जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 प्रदर्श– 1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में से कुल 05 किता की रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा भूमि हरनारायण पुत्र रंगलाल के खाते में दर्ज की गई है । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी को पैतृक मानते रंगलाल के जीवनकाल में इसका विभाजन किया गया है ।

9. वादीगण क्रम 1व 2 ने स्वयं को रंगलाल का पुत्र बताया है । प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 द्वारा जो जवाबदावा पेश किया गया है उसमें वादी के दावे को स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में जब प्रतिवादी क्रम 1 वादी बनवारी व रघुनन्दन को अपना पुत्र स्वीकार करते हैं तो वादी इसमें हितबद्ध पक्षकार है और पूर्व में पारित निर्णय से वो पाबन्द नहीं हैं क्योंकि उसमें वादी पक्षकार नहीं थे । एआईआर 1997 (एससी) पेज 1333, एआईआर 1989 पेज 202 यहॉ चस्पा होती हैं जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि पूर्व के दावे में वादी पक्षकार नहीं है तो उस पर रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होगा । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि–विरूद्ध रूप से वाद वादी खारिज किया है ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.04.2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 09 में किये गये विवेचन के आधार पर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि दिनांक 04.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19.8.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा